न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

पीठासीन अधिकारीः—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :—188 / 2024

प्रार्थीगणः—

1. बाबुसिंह पुत्र धुंकसिंह जाति पुरोहित निवासी मुबारी तहसील सिवाना जिला बालोतरा
2. समदर उर्फ सीमा पुत्री धुकसिंह जाति पुरोहित निवासी मुबारी तहसील सिवाना जिला बालोतरा हाल निवासी देच्छु जिला जालोर

बनाम

विप्रार्थीः—

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :—

श्री गौतमसिंह राजपुरोहित अधिवक्ता प्रार्थी

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 29.08.25

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 14, 144 / 41 व 146 / 41 रकबा क्रमशः 6.3940, 0.3480 व 2.2986 हैक्टेयर भूमि ग्राम मुबारी तहसील सिवाना व खसरा संख्या 596 रकबा 5.4066 हैक्टेयर भूमि ग्राम भागवा व खसरा संख्या 244 / 131 रक़बा 5.8047 हैक्टेयर ग्राम हेमावास तहसील सिवाना में अवस्थित है जिस पर प्रार्थीगण काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थीगण के अन्य समस्त दस्तावेजात यथा आधार कार्ड,पेन कार्ड व जनआधार कार्ड आदि में प्रार्थी संख्या 1 वास्तविक नाम ''बाबुसिंह पुत्र धुंकसिंह'' तथा प्रार्थी संख्या 2 का वास्तविक नाम '' समदर पुत्री धुंकसिंह पत्नी मूलचन्द''दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश प्रार्थी संख्या 1 का नाम ''बाबू पुत्र धुका,बाबुसिंह पुत्र धुका व बाबुलाल पुत्र धुंकाराम'' एवं प्रार्थी संख्या 2 का नाम '' सीमा पुत्री धुंका'' लिख दिया । इस प्रकार अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थीगण अपनी भूमि के विकास हेतु सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। अतः प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र [illegible] किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये [illegible] विप्रार्थी को तलबी की गई। तहसीलदार सिवाना के पत्र क्रमांक [illegible]/1785 दिनांक 28.08.2025 द्वारा प्रार्थीगण के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रार्थीगण ने आवेदन पत्र के समर्थन में साक्ष्य दस्तावेज जन आधार कार्ड,राशनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र की प्रति पेश किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:39:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी संख्या 1 का वास्तविक नाम ''बाबुसिंह पुत्र धुंकसिंह'' व प्रार्थी संख्या 2 का वास्तविक नाम ''समदर पुत्री धुंकसिंह'' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 14,144/41 व 146/41 रकबा क्रमशः 6.3940, 0.3480 व 2.2986 हैक्टेयर भूमि ग्राम मुबारी तहसील सिवाना व खसरा संख्या 596 रकबा 5.4066 हैक्टेयर भूमि ग्राम भागवा व खसरा संख्या 244/131 रकबा 5.8047 हैक्टेयर ग्राम हेमावास तहसील सिवाना में प्रार्थी संख्या का 1 नाम ''बाबू पुत्र धुका, बाबुसिंह पुत्र धुंका व बाबूलाल पुत्र धुकाराम'' व प्रार्थी संख्या 2 का नाम ''सीमा पुत्री धुका'' त्रुटिवश लिख दिया जाने से राजस्व रिकार्ड में भी इसी अनुसार अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। इस प्रकार दस्तावेजात एवं राजस्व रिकार्ड में विभिन्नता होने से प्रार्थीगण अपनी भूमि के स्वतंत्र विकास हेतु सरकारी संस्थाओं से ऋण अनुदान आदि सुविधाएं प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थीगण राजस्व रिकार्ड में अपना शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के जन आधार कार्ड,राशनकार्ड, मतदाता परिचय पत्र आदि दस्तावेजात में प्रार्थी संख्या 1 का वास्तविक नाम ''बाबुसिंह पुत्र धुंकसिंह'' व प्रार्थी संख्या 2 का वास्तविक नाम ''समदर पुत्री धुंकसिंह'' की तस्दीक होती है, किन्तु विवादित भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का नाम ''बाबू पुत्र धुका, बाबुसिंह पुत्र धुंका व बाबूलाल पुत्र धुकाराम'' व प्रार्थी संख्या 2 का ''सीमा पुत्री धुका'' नाम दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। ऐसी सूरत में प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर ख्खसरा संख्या 14,144/41 व 146/41 रकबा क्रमशः 6.3940, 0.3480 व 2.2986 हैक्टेयर भूमि ग्राम मुबारी तहसील सिवाना व खसरा संख्या 596 रकबा 5.4066 हैक्टेयर भूमि ग्राम भागवा व खसरा संख्या 244/131 रकबा 5.8047 हैक्टेयर ग्राम हेमावास तहसील सिवाना के राजस्व रिकार्ड में दर्ज में प्रार्थी संख्या 1 का नाम ''बाबू पुत्र धुका, बाबुसिंह पुत्र धुंका व बाबूलाल पुत्र धुकाराम'' के स्थान पर '' बाबूसिंह पुत्र धुकसिंह व प्रार्थी संख्या 2 का नाम ''सीमा पुत्री धुका'' के स्थान पर ''समदर उर्फ सीमा पुत्री धुकसिंह'' दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना को तदनुसार दुरूस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 25.08.2025 को खुले इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:39:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बालोतरा)

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)